

1270

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - विरौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - कपासन)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 583 दायर दिनांक 9/10/25

निर्णय दिनांक 09/10/25

रिपोर्ट



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	ज्ञान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>रुपाक्षी</u>	<u>17</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक <u>2025-26/113</u> दिनांक 26.09.2023 एवं राजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी
			बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक	तहसालीदर कपासन की अनुरोध स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रुपाक्षी</u> प.ह. <u>कपासन</u> खातासं. <u>17</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर मिरदावर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			<u>पटवारी</u>	<u>09-10-25</u>	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

- पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसील बड़ौदा, कपासन-विरौडगढ

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-विरौडगढ